न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अ संख्या : 17/459

सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार आत्मज रामचरण जाति मेहर निवासी डगारिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. मनभर बाई पुत्री राचरण ।
3. नट्टी बाई पुत्री रामचरण ।
4. गीता बाई पुत्री रामचरण ।
5. विमला बाई पुत्री रामचरण ।
6. रामलाल आत्मज नन्द किशोर ।
7. लक्ष्मण आत्मज नन्द किशोर ।
8. बालचन्द आत्मज नन्द किशोर ।
9. शिव कुमारी पुत्री नन्द किशोर ।
10. चमेली बाई बेवा नन्द किशोर जाति मेहर निवासी डगारिया तहसील दीगोद जिला कोटा।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 21.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम डगारिया तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर पुराने 185/1 की 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 185/2 की 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 223/1 की 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 /2 की 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 106 की 16 बिस्वा कुल 05 किता की 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद

स्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी क्रम 5 से 9 के दादा व 10 के ससुर रामचरण आत्मज जालमा को उक्त भूमि आंवटित की गई थी । उक्त भूमि को दिनांक 17.03.1982 को वादी के पिता आवंटी रामचरण को दखल दिया गया और उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 108 से वादी के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । उक्त भूमि के सेटलमेंट में आराजी में कमी कर दी जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बरान की कुल 04 बीघा 01 बिस्वा के 0.65 हैक्टर के स्थान पर 0.40 हैक्टर दर्ज कर 0.25 हैक्टर कम दर्ज की गयी भूमि की पूर्ति सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 252 की 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 253 की 0.08 हैक्टर व अन्य खसरा नम्बर की भूमि में से 0.03 हैक्टर भूमि में से 0.25 हैक्टर भूमि से की जाकर वादी के खाते दर्ज की जावे व वादी को 0.65 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया व प्रतिवादी क्रम 2 से 10 को नाम उक्त भूमि से हटाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.02.2017 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी का वादी का गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील प्रस्तुत करने हेतु अपने उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त की गई जिससे उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अपने वादपत्र में यह नहीं बताया है कि रेस्पोउेन्ट के नाम सेटलमेंट से कुल कितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और केचमेंट विभाग द्वारा केचमेट कार्य कर कितनी भूमि कम दर्ज की गई है तथा बाद केचमेंट सेटलमेंट विभाग द्वारा कितना रकबा कम दर्ज किया गया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने वादपत्र को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद में केचमेंट विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है । केचमेंट विभाग द्वारा किये गये कम रकबे की पूर्ति के लिए सेटलमेंट विभाग जिम्मेदार नहीं है । केचमेंट की दुरूस्ती को दुरूस्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान कारपोरेशन कॉलोनाईजेशनर एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से

स्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में रकबा दुरूस्ती की कार्यवाही मृतक रामचरण के सभी वारिसान द्वारा नहीं की गई है और न ऐसा कोई बंटवारा नामा ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध है । न ही इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगद प्रतिभूति अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायमी तनकीयात के आधार पर पक्षकारान की साक्ष्य दर्ज किये बिना ही केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के ध्येय से दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी रामचरण को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी जिस पर दिनांक 17.03.1983 को दखल दे दिया गया था । दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के पिता के नाम दर्ज करनी चाहिए थी । इस प्रकार उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग ने कम कर दी जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं थ । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपने वादपत्र में यह नहीं बताया है कि रेस्पोडेन्ट के नाम सेटलमेंट से कुल कितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और केचमेंट विभाग द्वारा केचमेट कार्य कर कितनी भूमि कम दर्ज की गई है तथा बाद केचमेंट सेटलमेंट विभाग द्वारा कितना रकबा कम दर्ज किया गया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने वादपत्र को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद में केचमेंट विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है । केचमेंट विभाग द्वारा किये गये कम रकबे की पूर्ति के लिए सेटलमेंट विभाग जिम्मेदार नहीं है । केचमेंट की दुरूस्ती को दुरूस्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान कारपोरेशन कॉलोनाईजेशनर एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में रकबा दुरूस्ती की कार्यवाही मृतक रामचरण के सभी वारिसान द्वारा नहीं की गई है और न ऐसा कोई बंटवारा नामा ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 04 तनकीयात कायम की थी परन्तु अपने निर्णय में किसी भी तनकी पर विवेचन नहीं किया और सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी उक्त निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 14.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा